तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **घनश्याम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 31 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.2022	अपीलार्थी घनश्याम पुत्र श्रीराम निवासी प्लॉट न. 05, पूर्वी आरती नगर, पाल गांव, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.12.2021 में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में कार्यरत कार्मिकों के नाम व पदनाम की सूची (2) कार्यालय खुलने एवं बन्द होने के समय की जानकारी एवं अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested